डायरी नं० 1521 फाईल नं०... दिनांक 27 सी. 07/07/2022

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/91/2020/एफ.सी./504 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.940 है0 वन भूमि के बदले दोगुनी 11.880 है0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.940 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुनतोला पट्टी चौडियार तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–86 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 3822 रकवा 0.632 है0, 3823 रकवा 1.938 है0, 3859 रकवा 1.128 है0, 3860 रकवा 0.512 है0, 3861 रकवा 0.492 है0, 3862 रकवा 0.595 है0, 3864 रकवा 0.190 है0, 6059 रकवा 1.773 है0, 6060 रकवा 3.259 है0, 6061 रकवा 1.192 है0, 6063 मध्ये रकवा 0.169 है0 कुल 11 खेतों की 11.880 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करे।

दिनांक जून, 29 , 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

AE II / अभि०

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1852/सात–57 /2021–22 दिनांक जून 30, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

विभाग सात
पत्रावली संख्या 57
वर्ष 2021-22
क्रमांक 01
पंजिका संख्या 6972
दिनांक 30/06/22

Scanned with CamScanner

भुगतान आदेश

खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे निम्नलिखित योजनाओं के सापेक्ष प्राप्त देयक की वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में प्रस्तुत उक्त भुगतान की राशि निविदा /एम0ओ0यू0 में निहित शर्तो के अनुरूप है।

क्र.सं.	योजना का नाम	सम्बन्धित ठेकेदार /फर्म जिससे निविदा स्वीकृत हुई है।	योजना हेतु स्वीकृत धनराशि (रू0 में)	अनुबन्ध की धनराशि (रू0 में) + जी0एस0टी0 की राशि अतिरिक्त होगी	पूर्व में किये गये भुगतान की राशि (रू0 में)	शेष धनराशि (रू0 में)	देयक संख्या	वर्तमान में पारित धनराशि जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	शेष धनराशि जो भुगतान किया जाना है। (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राज्य योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ में पब्बाधार नैनी-जागेश्वर वाया सेराघाट मो० मा० का नव निर्माण कार्य।	अधिशासी अभियंता अस्थाई लो०नि०वि० बेरीनाग।	8308896२	8308896२	—	—	I st/final	8308896२	—

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, बेरीनाग

पत्रांक 179 / लोवागाट देयक   दिनांक 09/02/2022

प्रतिलिपि – 1– सम्बन्धित ठेकेदार
2– देयक हेतु
3– उपकोषाधिकारी बेरीनाग।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Bill Type : Normal

rint Date - 9-2-2022

ansaction ID - WO3801422902221000

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

जनपद का नाम : पिथौरागढ़

...गार का नाम : बेरीनाग

...की अवधि कब से .... कब तक

... कोड

1	0	3

...गार/उपकोषागार का कोड

3	8	0	1

देयक पंजी की क्रम संख्या

2	2

वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) 0 वाउचर दिनांक –

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

मतदेय/भारित : मतदेय

लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	2	9

- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य 14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

...nnect अनुदान संख्या

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
...-भूमि क्रय	24242297	19793104	4449193

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	83,08,896
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**83,08,896**

...FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**83,08,896**

...णित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की ...त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा) (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

लेखाकार अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...ाशि रू0 83,08,896 (Rupees Eighty Three Lacs Eight Thousand Eight Hundred Ninety Six Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422902221001 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137053342	8308896	0	0	8308896
				8308896	**0**	**0**	**8308896**

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

ch. to
Head of Account Pawadhar alaine Jageshwar m/R
Passed for Rs - 83,08,896=

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

A.E.

सहायक अभियन्ता

Cash-book Voucher No. 61 dated 15/2/22

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (8308896/- to CAMPA

(2) Paid by me

RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag

Sub-Division A.E. Division the sum of the

Rs. (Eighty three Lakh eight thousand eight hundred Ninty six only

Name of work or purpose for which is made CA & N.P.V.

Amount vide Letter No - 113/25 बजट (N.P.V. भुगतान) 2021-22 (Amount in Vernacular) दि0 20-12-2021

Date. अनुदान संख्या - 22 लेखाशीर्षक - 5054043370304054

Witness.

चै0 38014229022 ... 9-2-22 Rs - 8308896

o/s for Rs - 83,08,896=00

Signature of Payees

S.E.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी अभियन्

पत्रांक 179 / लो०

प्रतिलिपि — 1— सम्बन्धित ठेकेदार

2— देयक हेतु

3— उपकोषाधिकारी बेरीनाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 970 / 27सी दिनांक 08 /07 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/91/2020/एफ0सी0/504 दि 05.08.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.88 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कुनतोला खसरा संख्या1144,1145,1149,1196,1215,1218,1268 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारकि हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	मान्य है।
	(ख)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कायालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1852/ 7–57/2021–22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 11.88 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।

Scanned with CamScanner

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधकिरण द्वारा अग्रमि रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाउचर संख्या 01 दिनांक 10.02. 2022(आई0डी0W03801422902221000 date 10-02-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.385 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई0डी0W03801422901221000 date 25-01-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 125 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन	मान्य है।

Scanned with CamScanner

	विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	
16	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शतें लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

भवदीय

08/07/22

(इं0 पी0सी0पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

पत्रांक 97 / 27सी   08/07/22 दिनांक / /2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

Scanned with CamScanner